

आवृत्ति

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश संघटक

संख्या- प्रविष्टि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3037

संलग्नक- दिनांक 08/08/2021

आवृत्ति सूची

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (भारतीय कानूनीय और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वैश्विक वर्ष 2021-22 हेतु विधायक भारतीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदित प्रदान किए जाने के उपरान्त प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघटक से सम्बद्धता/संलग्नकता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 08/08/2021 को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक संभल हुई। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण में सन्तुष्टि प्रदान की जायेगी। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण में सन्तुष्टि प्रदान की जायेगी। बैठक में समिति द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्ण में सन्तुष्टि प्रदान की जायेगी।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघटक द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अन्तर्गत प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघटक द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रदान की जायेगी।

संस्था का पता एवं नाम : 4039 SHARDA NAND ANCHAL TECHNICAL INSTITUTE CHAK MEHRALLI (MAURAH), POST-KARSI, BALLIA-221117

क्र.सं.	प्रायोजन का नाम	एच-आई-टी/टी/ई/टी/सी/आई/ई द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा वर्ष 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई-टी/टी/ई/टी/सी/आई/ई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद द्वारा 1800 तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद इण्डियन-स्टडी 1800 सेमेस्टर इण्डियन-स्टडी-2018 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इन्ट्री प्रायोजन हेतु ₹10,00,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय भारतीय प्रायोजन हेतु ₹10,00,00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षीय प्रायोजन (दो वर्षीय भारतीय प्रायोजन के अतिरिक्त) हेतु ₹10,00,00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रवेश प्रायोजन से उभर किया जाएगा। भारतीय के अतिरिक्त प्रायोजन से

दुल्हा के सम्बन्ध में समस्त-समय पर साक्ष्य द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाली साक्ष्यपत्रों उपरोक्त होंगी, और उपरोक्त कार्यवाही किया जाकर आवश्यक होगा। फौज निर्देशन समिति द्वारा यदि वर्ष 2021-22 हेतु फौज का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फौज की नवीनताएं हरे लागू होंगी।

- ✓ संस्था की (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समिति/एक उप समिति, संस्थाओं की सम्बद्ध किया जाकर विनियमवली-2000 की धारा का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित वाली को ही प्रवेश दिया जाएगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संस्था की समय-समय पर निर्दिष्ट साक्ष्यपत्रों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता दुल्हा उम्मा करना होगा।
- ✓ संस्था की (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा समिति/एक उप समिति, संस्थाओं की सम्बद्धता प्राप्त किया जाकर आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाये गये विनियमों/अधिनियमों/साक्ष्यपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, अधिसूचियों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्स पाठ्यक्रम की समाप्ति यदि दो सी.आई. नई दिल्ली में अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार को कोई हानि उत्पन्न किया जाता है तब उत्तर प्रदेश के संबंध में मा. गवर्नर/उप गवर्नर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदेशक निर्दिष्ट किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन कॉमर्स पाठ्यक्रम समाप्ति करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु (उपरोक्त) प्रवेश होने के पूर्व (उपरोक्त) से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध कराना होगा अथवा उन्हें प्रवेश की (उपरोक्त) के अभाव में अथवा संस्था स्तर पर सीमें प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्दिष्ट नवीनताएं आवश्यक नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था की अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साक्ष्यपत्र, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला दुल्हा, छात्रावास दुल्हा आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रविष्टान हेतु उपरोक्त साक्ष्यपत्र उपलब्ध कराने के साथ वेबसाइट को उपलब्ध में संस्था आवश्यक साक्ष्य सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/समाप्ति पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु विनियम समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिसूचिका, भूमि-आय, कॉन्ट्रैक्ट, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के राष्ट्रीय निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रायोगिक, उपकरण एवं अन्य साक्ष्य-सम्बद्ध (उपरोक्त) प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाए जाते हैं तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता धारा का अनुपालन न किये जाने अथवा धारा का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में विनियम/उप-अनुपालन/आवक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार जीनकर)

सचिव

पृष्ठ सं. प्राथमिक शिक्षा सम्बद्धता/2021/0538-4888

दिनांक: 09/08/2021

श्रीमान्

श्रीमान् श्री शर्दा नन्द अंचल टेक्निकल इंस्टीट्यूट चक्र मेहराली
(मुराहा पोस्ट-कर्सुडाली-221117)

(सुनील कुमार शंकर)

—सचिव—

आर्पित

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संख्यक/ दिनांक: 30/08/2022

आर्पित आप

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/आर्पितों काउन्सिल ऑफ इन्जिनियरिंग, नई दिल्ली द्वारा संकेत संख्या 2022-23 हेतु दिनांक 23 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- 23/08/2022 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक कायम हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2022-23 हेतु आर्पितों नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संबंधित संस्थाओं को सम्बद्धता विभाग, पाठ्यक्रम प्रयोग क्षमता वृद्धि सहित अन्य गटों पर विचार कराते हुए सत्र 2022-23 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, 08/08/2022 संख्यक द्वारा सत्र 2022-23 हेतु निम्नलिखित गटों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अधिकतम प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विभाग प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 4539-SHARDA NAND ANCHAL TECHNICAL INSTITUTE

क्र.सं०	पाठ्यक्रम का नाम	एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई द्वारा परिषद द्वारा सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश हेतु अनुमोदित प्रवेश	
		सत्र 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच-आई/सी/टी/आई/पी/सी/आई द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एस्ट. 1987 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद दिल्ली/राज्य 1992, दिल्ली/राज्य 2000, सेक्टर दिल्ली/राज्य 2018 तथा संस्था-संस्था पर निर्गत शासन/देशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों के लिए प्रत्येक हेतु सत्र 20150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों के लिए पाठ्यक्रम हेतु सत्र- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक वर्ष दो वर्षों पाठ्यक्रमों (दो

संघीय पारमैसी पाठ्यक्रम के अधिनियम) हेतु ₹१०-२२५००.००/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रयोग कराने के लिए निर्धारित किया जाएगा। उपरोक्त के अधिनियम लागू करने के लिए संघ के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनपत्र प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाने आवश्यक होगा। पीएम निर्देशन समिति द्वारा यदि सत्र २०२२-२३ हेतु पीएम का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो पीएम की नवीनतम डी लघु होगी।

- ✓ संघ में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा।
- ✓ संघ को समय-समय पर निर्गत शासनपत्रों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्थान उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत विधिनियमों/अधिनियमों/शासनपत्रों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्रादेशिक शिक्षा, उ००२०, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ००२० तथा प्रादेशिक शिक्षा परिषद, उ००२० द्वारा बनाये गये नियमों, विधिनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्यकारी है।
- ✓ यदि संस्थान का ए०आईसीटीआई/पीसीआई/आई से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्रादेशिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्रादेशिक शिक्षा निदेशालय एवं प्रादेशिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध यदि कोई कदम चलाया जाता है तथा चलाये जाने के संबंध में ए. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रवेश हेतु आवंटित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आईसीटीआई/पीसीआई/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के आधार पर सीधे प्रवेश अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम आवश्यक नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि, स्टाफ, छात्र-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्त शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ ही टैकनीक के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक आवश्यक सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था पर सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परामर्शित संबंधित पाठ्यक्रम को चलाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराने गये अधिलेख, भूमि-धन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- संस्था के शीर्षक स्वतंत्र निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, धन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य आवश्यक ए०आईसीटीआई/पीसीआई/आई/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


(एफ०आर० खान)

सचिव

[Signature]
(एच.एच.आर. ऑफिस)

रवि

भारतीय

प्रतिष्ठित प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश सखनऊ

संख्या - प्राविण/परिषद/सम्ब/उत्तर/2023/12090601

सखनऊ दिनांक 12-09-2023

भारतीय भाषा

प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं उपर्युक्त काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक वर्ष 2023-24 हेतु पूर्व में संघटित विद्यार्थी राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षण संस्थानों की अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ से सम्बद्ध विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में इच्छित दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद भारतीयों से सम्बद्ध समिति की बैठक सफल हुई। बैठक में वर्ष 2023-24 हेतु प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थाओं को प्रदत्त अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्ध समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुक्रम में संस्थाओं को सम्बद्ध विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्ध समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सखनऊ द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन परम्परागत एवं उपर्युक्त प्रतिष्ठित प्रवेश द्वारों हेतु सम्बद्ध विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का शीर्षक एवं नाम / KESH-SHARDA NAMO ANCHAL TECHNICAL INSTITUTE			
क्र.सं.	पठकक्रम का नाम	सम्बद्ध/संशोधित/संशोधित/संशोधित	परिषद द्वारा वर्ष 2023-
		द्वारा वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित	24 हेतु अनुमोदित
		प्रवेश द्वार	प्रवेश द्वार
1	CIVIL ENGINEERING	60	60
2	ELECTRICAL ENGINEERING	120	120
3	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)	60	60

सम्बद्ध हेतु शर्तें

- ✓ प्राविधिक शिक्षा, अनुसूची-3 द्वारा प्रवेश द्वारों के परीक्षा 31/10/2023 तक 2023 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व में संघटित संस्था संस्थाओं की शर्तों के विरुद्ध तकनीकी परीक्षा में प्रवेश द्वार परीक्षा सफल होता 2023 में सम्पन्न कराया है। प्रवेश द्वारों के अधीन सम्बद्ध विस्तार प्रदान की जाती है।
- ✓ संस्था प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गयी शर्तें शर्तों का पूर्ण पालन करेगी।
- ✓ प्रतिष्ठित भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/भारतीय काउन्सिल और इण्डिया, नई दिल्ली के सखनऊ के अनुक्रम संस्था में सखनऊ सखनऊ (पुणे, भुवनेश्वर, राँची उपस्थित) अदि उपस्थित है।
- ✓ संस्था द्वारा प्रदत्त प्राविधिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियम/संशोधित 1982, विनियम/संशोधित 2002, संशोधित विनियम/संशोधित 2016 तथा सखनऊ-सखनऊ या निर्दिष्ट कालखंडों का अनुपालन करेगी तथा सखनऊ विद्यार्थी संस्था द्वारा निर्धारित शुल्क ही प्रवेश द्वार/प्रवेश में प्रदत्त किये जायेंगे। उपरोक्त के प्राविधिक कालखंडों में शुल्क के सम्बन्ध में सखनऊ सखनऊ या सखनऊ द्वारा निर्दिष्ट किये गये गये कालखंडों प्रदर्शित होंगे और सखनऊ भारतीयों किये जाने उपस्थित होंगे। प्रवेश विनियम/संशोधित द्वारा शर्तें का 2023-24 हेतु प्रवेश का पुनर्विचार किये जाता है, जो शर्तों की सटीकता ही हेतु होंगे।
- ✓ संस्था में अनुक्रम प्रवेश प्राविधिक शिक्षा द्वारा निर्धारित शर्तों की ही प्रवेश द्वार करेगी।

